समाचार-पत्रों में प्रकाशन हेतु नोटिस

No. D-31011/13/2010/CT/Gen.III (Vol-II)

भारत सरकार

नीति आयोग

(पूर्ववर्ती योजना आयोग)

नीति आयोग, **संसद मार्ग**

नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2017

<u>सार्वजनिक नोटिस</u>

आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मैसर्स यासिकान एन्टरप्राइस प्रा.लि., सी-73 ए, मण्डावली फजलपुर, ऊँचेपुर, दिल्ली-110092 को 11-05-2011 से 30-04-2013 तक पूर्ववर्ती योजना आयोग में पचास (50) अकुशल सामान्य ड्यूटी श्रमिकों को उपलब्ध कराने के लिए नियोजित किया गया था। मैसर्स यासिकान एन्टर. की ओर से कुछ गलतियों के कारण फर्म को देय कुछ भुगतान पूर्ववर्ती योजना आयोग द्वारा रोक लिया गया था क्योंकि फर्म ने योजना आयोग में नियुक्त श्रमिकों के संबंध में ईपीएफ/ईएसआईसी निपटारा नहीं किया गया था।

2. अब मैसर्स यासिकान एन्टरप्राइस ने नीति आयोग को सूचित किया है कि उन्होंने योजना आयोग में नियोजित श्रमिकों की सभी लंबित ईपीएफ संबंधी देनदारी को निपटा दिया है और देय राशि को निर्मुक्त करने का अनुरोध भी किया है। नीति आयोग ने दिनांक 21 अगस्त, 2017 के पत्र द्वारा सभी संबंधित श्रमिकों से अपने ईपीएफ खातों की जांच करने और 15 सितम्बर, 2017 तक राशि प्राप्त होने की पुष्टि करने का अनुरोध किया। उत्तर में, कई श्रमिकों ने अपनी देय राशि की प्राप्ति लिखित में प्रस्तुत कर दी।

3. तथापि, ऐसे सभी श्रमिकों को देय ईपीएफ की प्राप्ति की पुष्टि नीति आयोग को 15 दिसम्बर, 2017 तक करने हेतु एक और अंतिम अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

4. यदि इस तारीख तक कोई सूचना/पुष्टि प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि मैसर्स यासिकान एन्टरप्राइस द्वारा नियोजित सामान्य ड्यूटी श्रमिकों को भुगतान हेतु पूर्ववर्ती योजना आयोग में ईपीएफ अंशदान के रूप में कुछ भी देय नहीं है और उस फर्म को देय राशि निर्मुक्त करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

(अजय जोशी)
अवर सचिव, भारत सरकार
कक्ष सं. 411,
दूरभाषः 011-23096636